FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत —उपखण्डाधिकारी— मुकाम — धौलपुर —

बहादुर सिंह —बनाम— बैकुण्ठी धौलपुर

किस्म मुकदमां — इजराय — नम्बर — 7 — सन् — 25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
23.05.25	इजराय प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील डिक्रीदार उपस्थित। उन्हें प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। एवं मूल पत्रावली तलब की गई। वकील डिक्रीदार को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने उपरान्त आदेश है कि तहसीलदार मनिया को आदेश इस आशय का जारी हो कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश एवं कोई अपील विचाराधीन ना हो तथा राज्य हित प्रभावित ना हो, तो न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा जारी डिक्री दिनांक 17.12.2014 / 15.04.2025 की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 को पेश हो। [illegible] उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	902 26/5/25
4.7.25	वकील डिक्रीदार उप.। वकील डिक्रीदार ने जाहिर किया कि उपरोक्त शीर्षक प्रकरण की डिक्री की पालना अभिलेखों में की जा चुकी है। अतः आदेश है कि पत्रावली इजराय की पालना हो जाने के कारण इजराय की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नंबर से कम की जावे। [illegible] उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	पालना हो चुकी है [illegible]